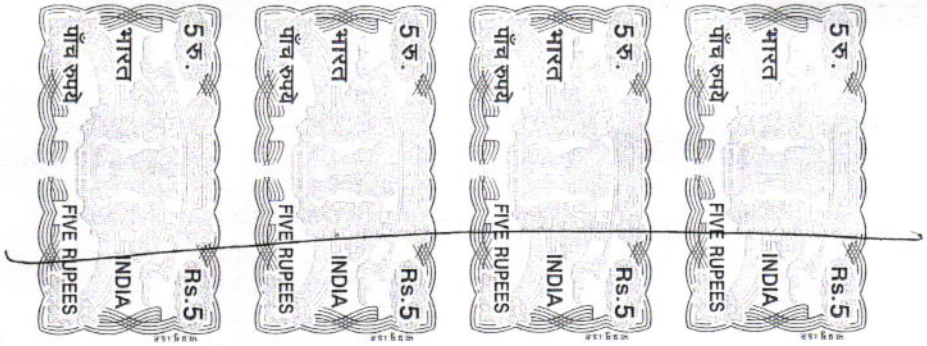

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2015 निगरानी

1. शीतल प्रसाद पुत्र श्री शम्भूदयाल सोनी, निवासी सटई रोड छतरपुर
2. कुलदीप सिह पुत्र स्वर्गीय श्री श्याम कुमार सिंह निवासी – कलेक्टर बंगला के पीछे, छतरपुर
3. सीताराम पुत्र मनमोहन मिश्रा, निवासी – बजरंग बार्ड नम्बर 33 छतरपुर
4. गनेश चतुर्वेदी पुत्र श्री शारदा प्रसाद चतुर्वेदी निवासी– बजरंग वार्ड नम्बर 33 छतरपुर
5. अवतार सिह चिमनी पुत्र करतार सिह चिमनी , निवासी – कलेक्टर बंगला के पीछे, छतरपुर
6. कमलेश पिपरसानिया पुत्र शंकरलाल पिपरसानिया, निवासी वार्ड नंबर 22छतरपुर जिला छतरपुर ..... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मध्य प्रदेश शासन
2. हल्काई पुत्र देवी अहीर निवासी – वार्ड नंबर 9, तमरहरि मुहल्ला. जिला छतरपुर, ...रेस्पोडेन्टस

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्व न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर के प्रकरण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 3775–2/2015 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश शीतल/शासन, हल्काई	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–12–2015	1 आवेदक के विद्वान अभिभाषक श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित । शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2 प्रकरण में संलग्न अभिलेखों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण कमांक 307/ अ–6–अ /75–76 में पारित आदेश दिनांक 30.7.76 द्वारा वाद भूमि (सर्वे कमांक 1625 आदि) को शासकीय घोषित किया गया था। तदुपरांत अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 220/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 25.2.06 एवं तहसीलदार के प्रकरण कमांक 159/अ–6–अ/05–06 में पारित आदेश दिनांक 10.3.06 से शासन का नाम हटा कर इन भूमियों पर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज करने के आदेश हुए, जिन्हें शिकायत दिनांक 16.2.09 आने पर कलेक्टर ने स्वप्रेरणा निगरानी में लेते हुए आदेश दिनांक 25.4.09 से निरस्त किया। अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश से कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा। 3 विद्वान अधिवक्ता के तर्को एवं उपलब्ध अभिलेखों एवं छाया प्रतियों के परिशीलन एवं विचारोपरांत मेरे समक्ष निम्न प्रमुख बिन्दु प्रकट हुए हैं: क– तहसीलदार छतरपुर के 307/ अ–6–अ /75–76 में पारित आदेश दिनांक 30.7.76 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष के 220/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 25.2.06 में वर्ष 1976 से 2006 के मध्य के विलम्ब का कोई निराकरण नहीं है, जिसका उल्लेख अपर आयुक्त ने अपने आदेश में भी किया है। ख– कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 62/स्व. प्रे. नि. /बी–121/08–09 में जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12.03.2009 एवं उसके उत्तर दिनांक 24.03.09 के	

अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25.2.06 के उपरांत विषयांकित भूमि का वर्ष 2008 में एक से अधिक बार विक्रय आदि से अंतरण किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि विषयांकित भूमि की आवश्यकता गैरनिगराकार क्रमांक 2 हल्काई पुत्र देवी अहीर को नहीं थी, एवं उन्होंने दिनांक 29.7.06 को नामांतरण पंजी क्रमांक 27 में पारित आदेश द्वारा इसे निगराकार क्रमांक 1 शीतल प्रसाद को अंतरित किया, जिसे शीतल प्रसाद ने दिनांक 26.12.08 को निगराकार क्रमांक 2 से 6 को विक्रय कर दिया।

ग– अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष के 220/अपील/02–03 में पारित आदेश दिनांक 25.2.06 में यह लिखा है कि विषयांकित भूमि बन्दोबस्त के समय हल्काई के पिता देवी अहीर के नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज थी एवं यह उनके पैतृक स्वामित्व की भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि थी। किन्तु अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 7.10.15 में इस बिन्दु पर कोई विवेचना अथवा निराकरण नहीं किया गया है।

4 उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं यह पाता हूं कि हालांकि अपर आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 7.10.15 उपरोक्त बिन्दु 3क एवं 3ख के संबंध में मोटे तौर पर एक स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश है, किन्तु उपरोक्त बिन्दु 3ग के संबंध में उसमें विचार, विवेचना एवं निष्कर्ष का अभाव है। अतः मैं अपर आयुक्त को यह आदेश देता हूँ कि वे आक्षेपित आदेश से संबंधित अपने न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 61/बी–121/08–09 पुनः खोलें एवं उसमें उपरोक्त बिन्दु 3ग को विचार में लेते हुए एवं इस बिन्दु पर विवेचना कर एवं आवश्यकतानुसार पुराने अभिलेखों का संदर्भ लेते हुए नये सिरे से बोलता हुआ आदेश पारित करें। अपर आयुक्त यह आदेश उनको इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर अनिवार्यतः पारित करें। तब तक के लिए आक्षेपित आदेश दिनांक 7.10.15 प्रभावहीन रहेगा।

आदेश पारित। पक्षकार एवं अपर आयुक्त सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

2.12.15

सदस्य